

पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्रभाग-2(09-10)/०९१००७९/१७८४ / वाणिज्य कर ।

प्रेषक,

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक :: लखनऊ :: जनवरी २७, २०१०

महोदय,

शासन के प०स०-क०नि०-२-११९/ग्यारह-२-२०१०-९(२९५)/०७-टी०सी०, दिनांक २७-१-२०१० द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष २००८-०९ का वार्षिक रिटर्न दिनांक ३१-३-२०१० तक दाखिल न किये जाने पर उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये ।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें एवं अधिवक्ता संघों/ व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(यू०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

प्र०प०स० एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-२ सचिवालय लखनऊ को उनके प०स०-क०नि०-२-११९/ग्यारह-२-२०१०-९(२९५)/०७-टी०सी०, दिनांक २७-१-२०१० के संदर्भ में सूचनार्थ ।

२- समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर मुख्यालय ।

(यू०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।